



प्रेस नोट

सराहनीय कार्य, झाँसी

दिनांक- 28.04.2025

- ❖ जनपद झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कड़ी कार्यवाही,
- ❖ आबकारी अधिनियम के अभियोग से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार,

अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराध नियंत्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम तथा वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में केस नम्बर 2497/23, अ0सं0 44/23 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित वारण्टी अभियुक्त- हरनारायण पुत्र स्व0 रामदयाल निवासी खजूरी थाना शाहजहाँपुर जनपद झाँसी उम्र 61 वर्ष के विरुद्ध मा0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट मौठ झाँसी द्वारा जारी एनबीडब्लू का अनुपालन करते हुये थाना शाहजहाँपुर पुलिस वारण्टी हरनारायण उपरोक्त को आज दिनांक 28.04.2025 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त/गुमशुदा का विवरण –

1. हरनारायण पुत्र स्व0 रामदयाल निवासी खजूरी थाना शाहजहाँपुर जनपद झाँसी उम्र 61 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री आदित्य कुमार अवस्थी, थाना शाहजहाँपुर, झाँसी।
2. का0 1079 संदीप कुमार, थाना शाहजहाँपुर, झाँसी।